

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]

दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2015/भाद्र 6, 1937

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 91

No. 112]

DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2015/BHADRA 6, 1937

[N.C.T.D. No. 91

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 28 अगस्त, 2015

सं.फा. 8/2/16/2015/मू. एवं भव./मू.अधि./10647.—जबकि, दिल्ली सरकार को यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि मुख्यतः अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (अ.ज.शो.सं.) के निर्माण हेतु सार्वजनिक उद्देश्य के लिये सार्वजनिक खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाना संभाव्य है;

और जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10क की उप-धारा (1) के खंड (ड) के प्रावधान के अनुसार, निम्नलिखित भूमि जो उक्त सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिगृहित की जानी है, जो कि आधारभूत परियोजना अर्थात् अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ककरोला गांव और आस पास के क्षेत्रों के निवासियों से उत्पन्न अपशिष्ट जल का शोधन करेंगे;

और जबकि, उक्त धारा के परन्तुक के संदर्भ में, यह प्रमाणित है कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है;

और जबकि, उक्त भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनःस्थापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला (दक्षिण पश्चिम) को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है;

इसलिए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2740 (अ) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिये निम्नलिखित भूमि का अधिग्रहण किया जाना संभाव्य है। इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त भूमि के अधिग्रहण के बारे में कोई आपत्ति रखता है, वह

अपनी आपत्ति अधिसूचना के जारी होने के साठ (60) दिनों के अन्दर समाहता/उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) को लिखित में दर्ज करा सकता है;

अधिसूचना द्वारा दर्शाये गई सीमाओं को दिखाने का नक्शा समाहता/उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

विशिष्ट विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
1.	ककरोला	107//24	4-16
		25 (MIN)	4-13
		113//4 (MIN)	1-06
		5 (MIN)	1-00
		कुल योग	11-15

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 28th August, 2015

No. F. 8/2/16/2015/L&B/LA/10647.—Whereas, it appears to the Appropriate Government of Delhi that land is likely to be acquired by the Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP);

And whereas, as per provision of clause (e) of sub-section (1) of section 10 A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), land mentioned below is to be acquired for aforesaid public purpose which shall be used for Infrastructure Project i.e construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP) which will treat the Waste Water Generated from the inhabitants of the Kakrola Village and adjoining areas;

And whereas, with reference to proviso of the said section, it is certified that the land proposed for acquisition is bare minimum land required for the above said purpose;

And whereas, the Additional District Magistrate, District (South West) is hereby appointed as Administrator under sub-section (1) of section 43 of the said Act for Rehabilitation and Resettlement of displaced persons due to acquisition of the said land;

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act read with notification No. S.O.2740 (E) dated the 21st October, 2014 issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, it is hereby notified that the land specified below is likely to be acquired for the above mentioned purpose, for information of all persons likely to be affected there by and notice is hereby given that any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality, may within 60 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Collector / D.C. (South West).

Map showing the boundaries of land covered by the notification is available for inspection in the office of the Collector/DC (South West).

SPECIFICATION

S.No.	Village	Khasra No.	Area (Bigha- Biswa)
1	Kakrola	107//24	4-16
		25 (Min)	4-13
		113//4 (Min)	1-06
		5 (Min)	1-00
		Total	11-15

सं. फा. 8/2/16/2015/मू. एवं भव./मू.अधि./10645.—जबकि, दिल्ली सरकार को यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि मुख्यतः अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (अ.ज.शो.सं.) के निर्माण हेतु सार्वजनिक उद्देश्य के लिये सार्वजनिक खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाना संभाव्य है;

और जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10क की उपधारा (1) के खंड (ड) के प्रावधान के अनुसार, निम्नलिखित भूमि जो उक्त सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जानी है, जो कि आधारभूत परियोजना अर्थात् अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कैर गांव और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों से उत्पन्न अपशिष्ट जल का शोधन करेंगे;

और जबकि, उक्त धारा के परन्तुक के संदर्भ में, यह प्रमाणित है कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है;

और जबकि, उक्त भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनःस्थापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला (दक्षिण पश्चिम) को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है;

इसलिए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2740(अ) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिये निम्नलिखित भूमि का अधिग्रहण किया जाना संभाव्य है। इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त भूमि के अधिग्रहण के बारे में कोई आपत्ति रखता है, वह अपनी आपत्ति अधिसूचना के जारी होने के साठ (80) दिनों के अन्दर समाहता/उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) को लिखित में दर्ज करा सकता है;

अधिसूचना द्वारा दर्शाये गई सीमाओं को दिखाने का नक्शा समाहता/उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

विशिष्ट विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
1.	कैर	45//15	4 -16
		46//11	4-16
		कुल योग	9 -12

No. F.8/2/16/2015/L&B/LA/10645.—Whereas, it appears to the Appropriate Government of Delhi that land is likely to be acquired by the Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP);

And whereas, as per provision of clause (e) of sub-section (1) of section 10A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), land mentioned below is to be acquired for aforesaid public purpose which shall be used for Infrastructure Project i.e construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP) which will treat the Waste Water Generated from the inhabitants of the Kair Village and adjoining areas;

And whereas, with reference to proviso of the said section, it is certified that the land proposed for acquisition is bare minimum land required for the above said purpose;

And whereas, the Additional District Magistrate, District (South West) is hereby appointed as Administrator under sub-section (1) of section 43 of the said Act for Rehabilitation and Resettlement of displaced persons due to acquisition of the said land;

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act read with notification No. S.O.2740 (E) dated the 21st October, 2014 issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, it is hereby notified that the land specified below is likely to be acquired for the above mentioned purpose, for information of all persons likely to be affected there by and notice is hereby given that any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality, may within 60 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Collector / D.C. (South West).

Map showing the boundaries of land covered by the notification is available for inspection in the office of the Collector/DC (South West).

SPECIFICATION

S.No.	Village	Khasra No.	Area (Bigha- Biswa)
1.	Kair	45//15	4-16
		46//11	4-16
		Total	9-12

सं.फा. 8/2/16/2015/मू. एवं भव./मू.अधि./10649.—जबकि, दिल्ली सरकार को यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि मुख्यतः अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (अ.ज.शो.सं.) के निर्माण हेतु सार्वजनिक उद्देश्य के लिये सार्वजनिक खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाना संभाव्य है;

और जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10क की उप-धारा (1) के खंड (ड) के प्रावधान के अनुसार, निम्नलिखित भूमि जो उक्त सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जानी है, जो कि आधारभूत परियोजना अर्थात् अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, काजीपुर गांव और आस पास के क्षेत्रों के निवासियों से उत्पन्न अपशिष्ट जल का शोधन करेंगे;

और जबकि, उक्त धारा के परन्तुक के संदर्भ में, यह प्रमाणित है कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है;

और जबकि, उक्त भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनःस्थापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (1) के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला (दक्षिण पश्चिम) को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है;

इसलिए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2740 (अ) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिये निम्नलिखित भूमि का अधिग्रहण किया जाना संभाव्य है। इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त भूमि के अधिग्रहण के बारे में कोई आपत्ति रखता है, वह अपनी आपत्ति अधिसूचना के जारी होने के साठ (80) दिनों के अन्दर समार्हता/उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) को लिखित में दर्ज करा सकता है;

अधिसूचना द्वारा दर्शाये गई सीमाओं को दिखाने का नक्शा समार्हता/उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

विशिष्ट विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
1.	काजीपुर	16 // 3	4-16
		कुल योग	4-16

No. F.8/2/16/2015/L&B/LA/10649.—Whereas, it appears to the Appropriate Government of Delhi that land is likely to be acquired by the Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP);

And whereas, as per provision of clause (e) of sub-section (1) of section 10A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), land mentioned below is to be acquired for aforesaid public purpose which shall be used for Infrastructure Project i.e construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP) which will treat the Waste Water Generated from the inhabitants of the Kazipur Village and adjoining areas;

And whereas, with reference to proviso of the said section, it is certified that the land proposed for acquisition is bare minimum land required for the above said purpose;

And whereas, the Additional District Magistrate, District (South West) is hereby appointed as Administrator under sub-section (1) of section 43 of the said Act for Rehabilitation and Resettlement of displaced persons due to acquisition of the said land;

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act read with notification No. S.O.2740 (E) dated the 21st October, 2014 issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, it is hereby notified that the land specified below is likely to be acquired for the above mentioned purpose, for

information of all persons likely to be affected there by and notice is hereby given that any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality, may within 60 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Collector / D.C. (South West).

Map showing the boundaries of land covered by the notification is available for inspection in the office of the Collector/DC (South West).

SPECIFICATION

S.No.	Village	Khasra No.	Area (Bigha- Biswa)
1.	Kazipur	16//3	4-16
		Total	4-16

सं.फा. 8/2/15/2015/मू. एवं भव./मू.अधि./10621.—जबकि, दिल्ली सरकार को यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि मुख्यतः अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (अ.ज. शो. सं.) के निर्माण हेतु सार्वजनिक उद्देश्य के लिये सार्वजनिक खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाना संभाव्य है;

और जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10क की उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रावधान के अनुसार, निम्नलिखित भूमि जो उक्त सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जानी है, जो कि आधारभूत परियोजना अर्थात् अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, टिकरी कलां गांव और आस पास के क्षेत्रों के निवासियों से उत्पन्न अपशिष्ट जल का शोधन करेंगे;

और जबकि, उक्त धारा के परन्तुक के संदर्भ में, यह प्रमाणित है कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है;

और जबकि, उक्त भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनःस्थापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (1) के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला (पश्चिम) को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है;

इसलिए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2740 (अ) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिये निम्नलिखित भूमि का अधिग्रहण किया जाना संभाव्य है। इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त भूमि के अधिग्रहण के बारे में कोई आपत्ति रखता है, वह अपनी आपत्ति अधिसूचना के जारी होने के साथ (60) दिनों के अन्दर समारहता/उपायुक्त (पश्चिम) को लिखित में दर्ज करा सकता है;

अधिसूचना द्वारा दर्शाये गई सीमाओं को दिखाने का नक्शा समारहता/उपायुक्त (पश्चिम) के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

विशिष्ट विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
1.	टिकरी कलां	74//21	4-16
		22	4-3
		85//2/1	2-8
		2/2	2-8
		3/1	1-9
		कुल योग	15-04

No. F. 8/2/15/2015/L&B/LA/10621.—Whereas, it appears to the Appropriate Government of Delhi that land is likely to be acquired by the Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP);

And whereas, as per provision of clause (e) of sub-section (1) of section 10 A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), land mentioned below is to be acquired for aforesaid public purpose which shall be used for Infrastructure Project i.e

3677DG/15-2

construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP) which will treat the Waste Water Generated from the inhabitants of the Tikri Kalan Village and adjoining areas;

And whereas, with reference to proviso of the said section, it is certified that the land proposed for acquisition is bare minimum land required for the above said purpose;

And whereas, the Additional District Magistrate, District (West) is hereby appointed as Administrator under sub-section (1) of section 43 of the said Act for Rehabilitation and Resettlement of displaced persons due to acquisition of the said land;

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act read with notification No. S.O.2740 (E) dated the 21st October 2014 issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, it is hereby notified that the land specified below is likely to be acquired for the above mentioned purpose, for information of all persons likely to be affected there by and notice is hereby given that any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality, may within 60 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Collector / D.C. (West).

Map showing the boundaries of land covered by the notification is available for inspection in the office of the Collector/DC (West).

SPECIFICATION

S.No.	Village	Khasra No.	Arca (Bigha- Biswa)
1	Tikri Kalan	74/21	4-16
		22	4-3
		85/2/1	2-8
		2/2	2-8
		3/1	1-9
		Total	15-04

सं. फा. 8/2/18/2015/भू. एवं मव./भू.अधि./10641.—जबकि, दिल्ली सरकार को यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि मुख्यतः अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (अ.ज. शो. सं.) के निर्माण हेतु सार्वजनिक उद्देश्य के लिये सार्वजनिक खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाना संभाव्य है;

और जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10क की उपधारा (1) के खंड (ड) के प्रावधान के अनुसार, निम्नलिखित भूमि जो उक्त सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिगृहीत की जानी है, जो कि आधारभूत परियोजना अर्थात् अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बिजवासन गांव और आस पास के क्षेत्रों के निवासियों से उत्पन्न अपशिष्ट जल का शोधन करेंगे;

और जबकि, उक्त धारा के परन्तुक के संदर्भ में, यह प्रमाणित है कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है;

और जबकि, उक्त भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनःस्थापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला (दक्षिण पश्चिम) को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है;

इसलिए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2740 (अ) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिये निम्नलिखित भूमि का अधिग्रहण किया जाना संभाव्य है। इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त भूमि के अधिग्रहण के बारे में कोई आपत्ति रखता है, वह अपनी आपत्ति अधिसूचना के जारी होने के साथ (60) दिनों के अन्दर समारहता/उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) को लिखित में दर्ज करा सकता है;

अधिसूचना द्वारा दर्शाये गई सीमाओं को दिखाने का नक्शा समारहता/उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

विशिष्ट विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
1.	बिजवासन	282	2-11(2150 वर्ग मी.)
		कुल योग	2-11(2150 वर्ग मी.)

No. F.8/2/16/2015/L&B/LA/10641.—Whereas, it appears to the Appropriate Government of Delhi that land is likely to be acquired by the Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP);

And whereas, as per provision of clause (e) of sub-section (1) of section 10 A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), land mentioned below is to be acquired for aforesaid public purpose which shall be used for Infrastructure Project i.e construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP) which will treat the Waste Water Generated from the inhabitants of the Bijwasan Village and adjoining areas;

And whereas, with reference to proviso of the said section, it is certified that the land proposed for acquisition is bare minimum land required for the above said purpose;

And whereas, the Additional District Magistrate, District (South West) is hereby appointed as Administrator under sub-section (1) of section 43 of the said Act for Rehabilitation and Resettlement of displaced persons due to acquisition of the said land;

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act read with notification No. S.O.2740 (E) dated the 21st October, 2014 issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, it is hereby notified that the land specified below is likely to be acquired for the above mentioned purpose, for information of all persons likely to be affected there by and notice is hereby given that any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality, may within 60 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Collector / D.C. (South West).

Map showing the boundaries of land covered by the notification is available for inspection in the office of the Collector/DC (South West).

SPECIFICATION

S.No.	Village	Khasra No.	Area (Bigha- Biswa)
1.	Bijwasan	282	2-11 (2150 sqm)
		Total	2-11 (2150 sqm)

सं.फा. 8/2/16/2015/भू. एवं भव./मू.अधि./10643.—जबकि, दिल्ली सरकार को यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि मुख्यतः अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (अ.ज. शो. सं.) के निर्माण हेतु सार्वजनिक उद्देश्य के लिये सार्वजनिक खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाना संभाव्य है;

और जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10क की उपधारा (1) के खंड (ड) के प्रावधान के अनुसार, निम्नलिखित भूमि जो उक्त सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिगृहित की जानी है, जो कि आधारभूत परियोजना अर्थात् अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जाजपुर खुर्द गांव और आस पास के क्षेत्रों के निवासियों से उत्पन्न अपशिष्ट जल का शोधन करेंगे;

और जबकि, उक्त धारा के परन्तुक के संदर्भ में, यह प्रमाणित है कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है;

और जबकि, उक्त भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनःस्थापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला (दक्षिण पश्चिम) को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है;

इसलिए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2740(अ) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिये निम्नलिखित भूमि का अधिग्रहण किया जाना संभाव्य है। इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त भूमि के अधिग्रहण के बारे में कोई आपत्ति रखता है, वह अपनी आपत्ति अधिसूचना के जारी होने के साठ (60) दिनों के अन्दर समारहता/उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) को लिखित में दर्ज करा सकता है;

अधिसूचना द्वारा दर्शाये गई सीमाओं को दिखाने का नक्शा समारहता/उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

3677D6/15-3

विशिष्ट विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
1.	ताजपुर खुर्द	11//11	4-00
		12/2	2-10
		19	4-16
		20	4-16
		21	4-12
		22	4-16
		28	0-04
		16//2	4-12
		कुल योग	30-06

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
ह.प.सि.सरान, विशेष सचिव (भू. एवं भ.)

No. F.8/2/16/2015/L&B/LA/10643.—Whereas, it appears to the Appropriate Government of Delhi that land is likely to be acquired by the Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP);

And whereas, as per provision of clause (e) of sub-section (1) of section 10 A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), land mentioned below is to be acquired for aforesaid public purpose which shall be used for Infrastructure Project i.e construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP) which will treat the Waste Water Generated from the inhabitants of the Tajpur Khurd Village and adjoining areas;

And whereas, with reference to proviso of the said section, it is certified that the land proposed for acquisition is bare minimum land required for the above said purpose;

And whereas, the Additional District Magistrate, District (South West) is hereby appointed as Administrator under sub-section (1) of section 43 of the said Act for Rehabilitation and Resettlement of displaced persons due to acquisition of the said land;

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act read with notification No. S.O.2740 (E) dated the 21st October, 2014 issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, it is hereby notified that the land specified below is likely to be acquired for the above mentioned purpose, for information of all persons likely to be affected there by and notice is hereby given that any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality, may within 60 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Collector / D.C. (South West).

Map showing the boundaries of land covered by the notification is available for inspection in the office of the Collector/DC (South West).

SPECIFICATION

S.No.	Village	Khasra No.	Area (Bigha- Biswa)
1.	Tajpur Khurd	11//11	4-00
		12/2	2-10
		19	4-16
		20	4-16
		21	4-12
		22	4-16
		28	0-04
		16//2	4-12
		Total	30-06

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,
National Capital Territory of Delhi,

H.P.S. SRAN, Spl. Secy. (L&B)

शहरी विकास विभाग

शुद्धि-पत्र

दिल्ली, 28 अगस्त, 2015

फा. सं. 13/46/2006/यूडी/3861.—दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में दिनांक 15 सितम्बर, 2006 को प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 13/46/2006/यूडी/16071 के पृष्ठ 113 से 198, पृष्ठ 195 पर पटपड़ गंज रोड़ से संबंधित क्रम संख्या 03 के समक्ष शाहदरा (दक्षिण) जोन, अनुलग्नक 'घ' में "सीएचबीएस" को "जीएचबीएस" पढ़ा जाये।

आदेश से,

डी. एस. वर्मा, उप-सचिव (शहरी विकास विभाग)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Delhi, the 28th August, 2015

F. No. 13/46/2006/UD/3861.—In the Notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, Department of Urban Development No.13/46/2006-UD/16071 dated the 15th September, 2006 published in Part IV of the Delhi Gazette Extra Ordinary at pages 113 to 198, at page 195, in Annexure 'D', Shahadara (South) Zone against serial No. 3 relating to Patparganj Road, for "CHBS" read "GHBS".

By Order,

D. S. VERMA, Dy. Secy. (Urban Development Department)